


25-4-22
 23-5-22
 208/2020

25-4-22

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान्
 अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर
 बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकुलाय उभय पक्षकारान् एवं
 पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकुलाय
 उभय पक्षकारान् एवं पक्षकारान् की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र
 अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज की
 जाती है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल
 दफतर हो।

23.06.2022

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान्
 अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर
 बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकुलाय उभय पक्षकारान् एवं
 पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकुलाय
 उभय पक्षकारान् एवं पक्षकारान् की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र
 अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज की
 जाती है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल
 दफतर हो।


 (दिलीप सिंह)
 उपखण्ड अधिकारी
 श्रीमाधापुर (सीकर)

आज 23 ई 2022 दिनांक कोर्ट में प्रकरण 208/2020
 में अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज की
 जाती है।